


विकेता को नामान्वरण होने के दिन से प्राप्त रहे थे वह समस्त मालिकाना अधिकार। प्रथम पक्ष विकेता ने आज ही क्रता को दे दिये हैं। आज से विचारी की गई कृपि भूमि को क्रता जिस प्रकार चाहे अपने उपयोग व उपयोग में लेवे, साथ अर्जित करे, रहदोषदल करे, रहन, विकाय, पुनः हस्तान्वित आदि करने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार ग्राप्त हो गए हैं।

उम्मेदप्रकार इस विक्रय पत्र को पंजोयक कराने का प्रत्यक्ष प्रकार का खर्च करना के लिए मेरे रुप साधा है तथा क्रता द्वारा मूलधन से पृथक् अपने पास से बहन किया है।

भविष्य में विचारी की गई कृपि भूमि के इस विक्रय पत्र के विपरीत प्रथम पक्ष विकेता का कोई साझेदार या भागीदार बनकर किसी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप करेगा या आज के पूर्व का कोई शास्त्रा, टण्ठा, कर्जा, डिक्री, बैंक खण्ड आदि का भार सरकारी, इत्यादि का निकलेगा तो उन सबका नियटारा हानि व्यव सहित प्रथम पक्ष विकेता स्वयं करेगा, क्रता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उपर्युक्त वर्णन कृपि भूमि किसी कारण या प्रथम पक्ष विकेता के स्वामित्व को जुटि के कारण विचारी की गई कृपि भूमि सम्पूर्ण या भागीक रूप में क्रता के कबड्डे एवं अधिकार से निकल जावे तो क्रता को हानि बाती तमाम हानि सव निर्माण कार्य जो भी हो प्रथम पक्ष विकेता से व उनकी अन्य चेल अचल यथाति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा इसमें प्रथम पक्ष विकेता को या उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। आज के परचात् लौज की सीरि व अन्य राज्य सरकार की देय राशि जो भी लगेगी वह क्रता स्वयं जमा करायेगा। इससे प्रथम पक्ष विकेता का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।



Arshkumar Sharma

*Archaeaum Shastana*

*Archaeaum Shastana*  
var. *Shastana*

5.

*Archaeaum Shastana*



*Archaeaum Shastana* var. *Shastana* is a species of moss in the family Mniaceae. It is characterized by its small, rounded, greenish-brown sporophytes. The leaves are narrow and pointed, often with distinct cilia at the apex. The capsule is smooth and rounded. This species is found in shaded, moist habitats, such as under rocks or in leaf litter. It is a common component of the forest floor in the Pacific Northwest. The name "Shastana" refers to the Shasta Indians, who inhabited the area where the first specimen was collected.


#### 12. *Archaeaum Shastana*

It is likely that this specimen belongs to the same species as the one described above. The leaves are narrow and pointed, with distinct cilia at the apex. The capsule is smooth and rounded. The name "Shastana" refers to the Shasta Indians, who inhabited the area where the first specimen was collected. This species is found in shaded, moist habitats, such as under rocks or in leaf litter. It is a common component of the forest floor in the Pacific Northwest. The name "Shastana" refers to the Shasta Indians, who inhabited the area where the first specimen was collected.

17 DEC 1944 AIR FORCE BASE  
AIRCRAFT DIVISION

PLANE

PILOT 17



(b) 112300 1045 21041416219 - 10112300

112300 1045 21026 10112300

112300 1045 21026 10112300

9 वया कालम निर्दिष्टकरण के लिए  
नियम १३ के अनुसार जारी किया गया  
है।

नहीं

10 अब दिविनियोग बढ़ि कोई हो।

नहीं

11 उपचुन नियमित आदेश निम्नलिखित रास्तों के अध्ययोग होगा—

(1) उपर्युक्त अनुचित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राप्तिकारी की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये दिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) याद जापक इस आदेश के लिए हाले जो तारीख से 2 वर्षों की कालावधि के निम्न संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विकल रहा है तो इन्हें कठिनाहत कर ही जाएगी और जापक द्वारा जमा दाता नहीं प्रीमियम भत्ता सम्बद्ध हो जायेगा।

(3) उपचुन नियम भूमि का उपयोग अवृत्तिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) जापक जापकी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के जिसी भाग का अन्य दिए हैं अनुचित प्रयोजन के लिए उपचुन विहित प्राप्तिकारी से विधि सान्य उपचुन प्रयोग किए दिया नहीं किया जायेगा।

(5) याद सभ्य राजमार्ग से लिखाण सम्बन्ध तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो सातिजनिक नियमित दिवाने ने अनुमति दियी होगी।

(6) लिखाण सातीय नियम वै उपर्युक्तीय स्थान विधान सभ्यान के निर्माण वाले नियमित मापदण्डोनुसार ही विधान सभ्यान का निर्माण कार्य कराया जा सकता है तथा विधान वै उपर्युक्तीय प्राप्तिकारी द्वारा कर्मीशान अथवा दौरिनकल एकुकालीन जे स्थानित हो तो उनके दिवान निर्देशी के अनुराग नियमित करना होगा।

(7) विधान सभ्यान प्रयोजनके सम्बन्धातत भूमि भूमि का ५० प्राप्तिकारी वै व्यव्याप्त एवं पार्क वाहन पार्किंग अदि के लिए खुला ढाउने होगा।

(8) राजस्व नियम के परिपत्र क्रमांक प-८(६)राज-८/९२/पार्ट/२३ दिनांक १७.१.०७ की पालना में नियम २००७ के नियम ३(२) के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा नवशा अनुमोदित कराना होगा।

जिला कलवटर  
जम्पुर।

मात्र— दस / २१२५-२० :

दिनांक - १६/३/०८

प्रतिलिपि सचिनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 अनुचित जापिकारी जिला राजस्व लेडा कलवटर, जम्पुर।

2 राजस्व राजस्व नियम नियमित जिला जम्पुर।

3 राजस्व राजस्व नियम नियमित अदी पर्स नियम नियमित।

4 नियमित सत्य सकल संस्था नियमित १०-क्रूपा नगर की ४०-किलो रोड महान सम्पर्क।

5 नियमित नियमित।

विचारी किये हुए भूखण्ड को सेलम मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है,  
अविकसित ऐरिया होने के कारण इसको मार्केट बेल्यू मूलधन से अधिक नहीं है।

अतः यह विकल्प पत्र मैंने अपनी गजी खुशी स्वस्थ चित व स्थिर बुद्धि की  
अवस्था में 1000 रुपये के मुद्रा पत्र व एच पाई पर लिख दिया है कि प्रमाण  
रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 25.04.2007.

हस्ताक्षर विकेता

L.T. Gopaldas

हस्ताक्षर केता

Arunima Shrivastava

गवाह

शांखेश शिंहल श्रीलंग इन्हीं

D-135 फ्लॉर 457 लोकपालपुर

गवाह

Sanjeev Singhvi Advocate

Drafted by Sanjeev Singhvi, Advocate

प्रारूप "ब"  
दखिय नियम 9(3)(4) और (6)  
कार्यालय जिला कलवटी, जयपुर

वार्षिक अंतर 18वीं (52) 2007 / रोड / 2124 दिनांक - 16/1/08

सपरिवर्तन आदेश

सत्य सफलत्य सेवा समिति 9-कृष्णा नगर दी 80-फिट रोड महेश नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में वारित कृषि भूमि का राजस्थान सरकारी (प्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सपरिवर्तन), नियम 2007 के नियम 9 के अंदर अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा सपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विवाहित नीति तो गई है।

- 1 आवेदक खातेदार अभिनेता का नाम सत्य सफलत्य सेवा समिति 9-कृष्णा नगर दी पिता/पति के नाम सहित पूरा 80-फिट रोड महेश नगर जयपुर द्वारा।
- 2 वहा आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदरूप है। नहीं
- 3 सपरिवर्तन भूमि का छोरा-
  - (अ) चाम/चाम पचायत/तहसील ग्राम एवं ग्राम पचायत आदी तहसील जमशहरमन्दिर जिला जयपुर
  - (ब) भूम रा खसरा सरख्या ओर खान 370 स्कॉर्ट 3 बीथा 04 विस्ता प्रत्यक्ष खसरा सरख्या का दोनों
  - (स) प्रत्यक्ष खसरा सरख्या के खान 370 में सपरिवर्तन किया गया सेक्टरल क्षेत्रफल को उपदर्शित करते 5000 च०मी० हुए सपरिवर्तित क्षेत्रफल(हेयट ए य न्हीं)
- 4 सपरिवर्तन का प्रयोजन स्थान (राष्ट्रीयिक) प्रयोजनार्थ
- 5 संवेद द्रीमियन की दर 15.82/- रु० प्रति वर्गमीटर
- 6 घालान की सरख्या तथा तारीख दान 786 दिन 7.2.07 से राशि 73100/- रुपये जान कराई यह प्रीमियम की रकम।
- 7 घालान की सरख्या तथा तारीख सहित दालें यदि कोई ठों की रकम कराई तर्ह रकम। नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
₹.1000

ONE THOUSAND

Rs.1000

राजस्थान



N



839080



## ॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 25.04.2007 ईस्टो को जयपुर शहर जयपुर में मैं श्रीमति गंगा देवी पर्णि औ जगदोश नारायण जाति ह. ब्राह्मण आयु लगभग ५७.वर्ष निवासी बालकिशनपुरा जयपुर को है। जिसे विक्रय पत्र में आगे चलकर प्रथम पक्ष विकेता के नाम से सम्बोधित किया गया है।

बहक

सत्य संकल्प सेवा समिति, रजि. न० 615 जयपुर/2006-07 राज. संस्था  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, जरिये अध्यक्ष श्री शिवचरण शर्मा पुत्र स्य. श्री वारदगम

ज्ञानु 67 वर्ष एवं महासचिव श्रीमती अर्चना शर्मा पति श्री विकास शर्मा और 37  
वर्ष, पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर 9, कृष्णा नगर-वी 80 फीट रोड, महेश नगर,  
जयपुर राजस्थान है। दिनहे विक्रय पत्र मे आगे चलकर द्वितीय पक्ष केता के नाम से  
सम्बोधित किया गया है।

इस विक्रय पत्र से हम प्रथम पक्ष, केता द्वितीय पक्ष व दोनों के उल्लंभिकारी,  
दायीभागीण व सभी स्थानापन्न भी पावन व बाध्य रहेंगे।

ज्ञानु के लिए कि प्रथम पक्ष विकेता की अचल सम्पत्ति के स्वामित्व व अधिकार की  
कृषि धूम्र खसरा संख्या 370 स्थित गाम ओधी पटवार हल्का ओधी तहसील  
जमवारामगढ़ जिला जयपुर मे स्थित है, जिसका कुल धनफल 3 बोद्धा 4 विस्ता है  
जिसके चारों ओर सीमाओं मे से पूर्व की ओर खसरा नो 369 मिला हुआ व दक्षिण  
की ओर खसरा नो 372 मिला हुआ है व पश्चिम की ओर खसरा नो 371 स्थित  
है व उत्तर की ओर खसरा नो 368 स्थित है जिसमे लगभग 40 फुट की सड़क है  
इस सड़क से खसरा नो 370 मे जाने का रास्ता है। उपरोक्त वर्णित भूमि को  
प्रथम पक्ष विकेता ने अरिये रजिस्ट्री द्वारा श्री गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री सुरजमल  
शर्मा जाति ह, ब्राह्मण निवासी म.न. 92 भट्टो की गली पुरानी विधानसभा के सामने  
जयपुर से कृषि किया एवं नामान्तरण से 1064 दिनांक 21.11.2005 से अपने नाम  
नामान्तरण खुलाया कर उपरोक्त खसरे को बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साँझे  
के एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी है जिसे प्रथम पक्ष विकेतागण ने आज तक  
किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय, बछारीश आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया  
है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 370 प्रत्येक प्रकार के झगड़, टण्ड,

जनसाधारण इत्यादि से शुद्ध, पवित्र व मुक्त है जिसके चिन्ह में प्रथम पक्ष विकल्प को प्रत्येक प्रकार से अपने काम में लेने व रहने, विक्रय, व हस्तान्तरित आदि करने का समूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है। यदि उपरोक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का भार निकलता है तो उसकी समूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विकेता की होगी।

जो कि प्रथम पक्ष विकेता को अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु रूपयों को आवश्यकता डोने के कारण प्रथम पक्ष विकेता ने अपना उपर्युक्त लाइन कृषि भूमि गुम्फा संख्या 370 समूर्ण रूपलौ, बिन रखे किसी भंडा व भांडे के बीच संकरण गवा भविति पंजीयन कार्यालय मकान नम्बर 9, कृष्णा नगर बी 80 फैट गड, मुमुक्षा नगर, जयपुर राजस्थान हिस्तीय पक्ष केता को 10,00,000/- अक्सर दस लाख रुपय के बदल अपनी प्रभन्नता से पूर्ण रूप से विचोती कर दिया है।

विक्रय मूल्य की कुल मुद्रालग राशि रूपये 10,00,000/- अक्सर दस लाख रुपय में से चार लाख रुपय जरिय डी. ए. नो 032761 दि 0 16.04.2007 यू. टी. आई. बैंक आशोक मार्ग सी स्कॉम जयपुर हास जारी किया गया है व छ; लाख रुपय यू. टी. आई. बैंक आशोक मार्ग सी स्कॉम जयपुर के आर. टी. जी. एस सिस्टम के अकाउन्ट न. 010010100432054 में दि 25.04.2007 को जमा करवा दिये हैं जो कि विकेता के एस बी बी के अकाउन्ट न. 61023487118 में जमा हो गये हैं जिसकी पावती उक्त केता से आज मन्मुख उप-पंजीयक महोदय के समक्ष प्राप्त कर कर्जा विचोती किये उक्त कृषि भूमि पर हिस्तीय पक्ष केता को खौके पर वास्तविक रूप से भौतिक कर्जा व अधिकार करवा कर विक्रय पक्ष को रजिस्ट्री करवा दी है। विचोती की गई कृषि भूमि के संबंध में समस्त मालिकाना अधिकार जो आज तक प्रथम पक्ष

उक्त श्री/श्रीमती/सुभूती (Executive)  
 1 -GANGA DEVI / JAGDISH NARAYAN  
 उम्र -47 वर्ष जाति - BRAHMIN, व्यवसाय -HOUSE WIFE  
 निवासी - BALKISHANPURA, JAIPUR RAJASTHAN

Signature

Photo

Thumb



(And Claiment)

1 -SHIV CHARAN SHARMA / LATE YADRAM SHARMA  
 उम्र -67 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS  
 निवासी -SATYA SANKALP SEWA SAMITI, MAHESH  
 NAGAR, JAIPUR AS PRES. SATYA SANKALP SEWA  
 SAMITI



2 -ARCHNA SHARMA / VIKAS SHARMA  
 उम्र -37 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -HOUSE WIFE  
 निवासी - SATYA-SANKALP SEWA SAMITI, MAHESH  
 NAGAR, JAIPUR AS SEC. SATYA SANKALP SEWA  
 SAMITI



जो लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व  
 सलझकर विचार करता रहीकार किया। प्रतिपक्ष राहीं राहीं  
 1280000/- पूर्ण मैट्रेसमान / जो रुपये 1280000/- पूर्ण रूपये  
 मेरे समक्ष प्राप्त करता रहीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुभूती RAJESH SHARMA  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRILAL SHARMA  
 उम्र -25 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -PRIVATE SERVICE  
 निवासी D-135,,PREM NAGAR,JHOTWARA, JAIPUR  
 2- श्री/श्रीमती/सुभूती SANJEEV SINGHAL ADV.  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JAIPUR  
 उम्र -0 वर्ष जाति-null व्यवसाय -ADVOCATE  
 निवासी JAIPUR,,



वे वही हैं जिनके सामरत्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे  
 सामने लिये गये हैं।



( 2007051004711 )

Sale Deed (Conveyance deed)

उपलब्धकरणीय JAIPUR-1

वंजीवन एवं मुद्रांक,

जयपुर प्रधम